फा. सं. 607/3/2017/एनपीसीएस - भाग

भारत सरकार

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)

9वां तल, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

25.09.2023

प्रकाशकों के लिए एडवाइजरी (2023 की संख्या 2)

विषयः- प्रेस सूचना ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियतकालिक पत्रिकाओं (समाचारपत्रों या पत्रिकाओं) की प्रतियों की सुपुर्दगी बाबत।

प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 11 ख और समाचारपत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियमावली, 1956 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को समाचारपत्र के अंक के प्रकाशन के 48 घंटों के अंदर अपने अंक की एक प्रति डाक या संदेशवाहक के माध्यम से प्रेस पंजीयक को प्रेषित करना है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रकाशक पीआरबी अधिनियम की धारा 11 क और 11 ख के अनुपालन में समाचारपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो जन विश्वास अधिनियम, 2023 द्वारा यथा संशोधित पीआरबी अधिनियम की धारा 13 (vi) के तहत उस पर 2000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों/दिल्ली स्थित आरएनआई कार्यालय, जैसा भी मामला हो, में प्रतियां प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पीआरबी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने का भी आधार माना जा सकता है और इसे नियमित आधार पर प्रकाशन नहीं करना/प्रकाशन बंद करना माना जाएगा।

अतः सभी प्रकाशकों को एतदद्वारा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्रकाशित समाचारपत्रों या नियतकालिक पत्रिकाओं, जैसा भी मामला हो, के प्रत्येक अंक की प्रतियां निर्धारित समय के अंदर प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में प्रकाशित समाचारपत्रों की प्रतियां भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय, सूचना भवन, नई दिल्ली में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

***